



**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय - सागर पता: क्षेत्रीय कार्यालय: 7 सिविल लाइंस, यूनिवर्सिटी रोड, सागर (म.प्र.)

**सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 दिनों की विक्रय सूचना**

प्रति,  
मे. श्री अथर्व अक्षय स्टोन क्रेशर  
द्वारा प्रोपराइटर - श्रीमति शिवानी चौबे पति श्री संजय चौबे  
पता - नाखरे की गली, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोपालगंज के सामने, गोपालगंज, तह व जिला-सागर (मध्यप्रदेश)

**विषय: ई - नीलामी विक्रय नोटिस- ऋण खाता - मे. श्री अथर्व अक्षय स्टोन क्रेशर**

| खाता सं.   | खाता प्रकार | संबंधित ऋण नाम                    | ऋण राशि         |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 5270813330 | सावधि ऋण    | मे. श्री अथर्व अक्षय स्टोन क्रेशर | ₹ 1,01,65,000/- |
| 5270814855 | सावधि ऋण    | मे. श्री अथर्व अक्षय स्टोन क्रेशर | ₹ 77,28,000/-   |

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 18/06/2024 (मे. श्री अथर्व अक्षय स्टोन क्रेशर) तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 17/09/2024, भौतिक कब्जा दिनांक 29/12/2025 (प्रकाशन -01/01/2026) दैनिक भास्कर एवं बिज़नेस स्टैंडर्ड की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्थावर संपत्ति का विक्रय नीलामी के माध्यम से दिनांक 31/08/2026 (सुबह 10 बजे से) किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं नई दुनिया में दिनांक 25/07/2026 को किया जाना है।

एतद्वारा आपको 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि आप बकाया राशि के साथ सभी व्यय प्रभार तथा लागत का भुगतान कर प्रतिभूति का मोचन कर लें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

**स्थावर संपत्ति का विवरण:**

| संपत्ति क्र. | ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार                                                                                               | मांग/ बकाया राशि                                      | साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | मे. श्री अथर्व अक्षय स्टोन क्रेशर<br>द्वारा प्रोपराइटर - श्रीमति शिवानी चौबे पति श्री संजय चौबे<br><br>संबंधित शाखा: गोपालगंज (म.प्र.) | ₹. 1,62,97,056.49/-<br>+ भविष्य ब्याज +<br>विधिक व्यय | साम्य बंधक भूमि/भवन: ख. क्र. 511 (क्षेत्रफल 0.46 हेक्टेयर) एवं ख. क्र. 517 में से नया ख. क्र. 517/2 (क्षेत्रफल 0.78 हेक्टेयर), कुल क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर, प.ह.नं. 06, मौजा-भुसौरा, आर.आई.सी.-केसली, तह-केसली, जिला-सागर, मध्यप्रदेश। चतु:सीमा- उत्तर-पठेले एवं केवट की भूमि, दक्षिण-नहर, पूर्व-श्री रिछारिया जी की भूमि, पश्चिम-रास्ता।<br>संपत्ति स्वामी - श्रीमति शिवानी चौबे पति श्री संजय चौबे<br>आरक्षित मूल्य : ₹. 11,10,000/- |
| 2            |                                                                                                                                        |                                                       | साम्य बंधक भूमि/भवन: खसरा क्रमांक 497, 498/1, 499, प.ह.नं. 02, कुल क्षेत्रफल 0.38 हेक्टेयर, मौजा-बरकोटी कला, आर.आई.सी.-गोरझामर, तह-देवरी, जिला-सागर, मध्यप्रदेश। चतु:सीमा- उत्तर-पप्पू तिवारी की भूमि, दक्षिण-गिरजा तेंगुरिया की भूमि, पूर्व-रास्ता, पश्चिम-गिरजा तेंगुरिया की भूमि।<br>संपत्ति स्वामी - श्रीमति शिवानी चौबे पति श्री संजय चौबे<br>आरक्षित मूल्य : ₹. 29,50,000/-                                                      |

ऋणकर्ता/गारंटर/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: सागर (म.प्र.)  
तिथि: 23/07/2026

प्राधिकृत अधिकारी  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
क्षेत्रीय कार्यालय, सागर  
  
प्राधिकृत अधिकारी  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया